Policy of Giving Job to Sports Persons.

253. SHRI JAGBIR SINGH MALIK,M.L.A : Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state:-

a) the policy of Government for giving Jobs to sports persons in State as per their performance in National & International Games; and

b) whether the abovesaid policy was changed by the Government after year 2015; if so, the details thereof ?

c) the details of Jobs given by Government to sports persons in different departments in State togetherwith ranks, grade of job i.e. class I,II,III from 2015 till framing of new policy?

Sandeep Singh, Minister of State for Sports & Youth Affairs:

a) Sir, the Government of Haryana has framed the Haryana Outstanding Sportspersons (Group A, B and C) Service Rules 2021 by repealing the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 after the approval of Cabinet on 10.02.2021. These Rules have been notified vide No. G.S.R.4/Const./Art. 309/2021 dated 26.02.2021. A copy of this notification is placed on the table of the house. In these Rules an Outstanding Sportsperson Cadre (OSP Cadre) has been created for promotion of Sports. Creation of posts in Outstanding Sportsperson Cadre (OSP Cadre) is as under:

Sr. No.	**Name of Posts & Category**	**No. of Posts**
1.	Deputy Director (OSP) Group-A	50
2.	Senior Coach (OSP) Group-B	100
3.	Coach(OSP) Group-B	150
4.	Junior Coach (OSP) Group-C	250

The Outstanding Sportsperson will be appointed in Group-A, B and C services depending upon the level of their achievement in various national and International tournaments under these new rules in the department of Sports and Youth Affairs Haryana and they will be liable to serve in Centres of Excellence/Academies/Sports Complexes established in any district of the state.

b) Vide notification dated 20.08.2013, the Government of Haryana framed the policy for out of turn appointment. This policy was amended vide letter dated 15.07.2014. Vide notification dated 05/09/2018, the Government of Haryana rescinded the policy dated

15.07.2014 by framing the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 for providing jobs to Outstanding Sportspersons as per their sports achievements. A copy of this notification is placed on the table of the house.

c) The Department of Sports & Youth Affairs, Haryana has issued the appointments to a total of 71 sportspersons till date with following rank and grade:

i) In Class-I, 19 sportspersons (03 players in 2020 and 16 players in 2021) have been given appointment on the post of Deputy Director in the FPL-11, Cell-1 under the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 .

ii) In Class-II, 28 sportspersons have given appointment on the post of Coach in the FPL-06, Cell-1 under the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018.

iii) In class-III, 21 sportspersons have been given appointment on the post of Junior Coach in the FPL-06, Cell-1 and 03 sportspersons have given appointment on the post of Clerk in the FPL-02, Cell-1 under the policy dated 15.07.2014.

Only one appointment has been given to a sportsperson by the office of Deputy Commisioner, Narnaul under the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 on the post of Clerk in the FPL-02, Cell-1

खिलाडियों को नौकरी देने की नीति

253. श्री जगबीर सिंह मलिक, एम0एल0ए0: क्या खेलकूद तथा युवा मामले राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) राज्य में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उनके प्रदर्षन के आधार पर खिलाडियों को नौकरी देने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2015 के पष्चात् सरकार द्वारा उपरोक्त नीति को बदल दिया गया था; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) राज्य में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में खिलाडियों को दी गई नौकरियों का ब्यौरा क्या है तथा 2015 से नई योजना के बनने तक नौकरी के रैंक तथा ग्रेड अर्थात वर्ग I,II, III का ब्यौरा क्या है?

संदीप सिंह, राज्य मंत्री, खेल एवं युवा मामलेः

क) श्रीमान जी, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 10.02.2021 को मंत्रीपरिषद के अनुमोदन उपरांत हरियाणा प्रतिभाषाली खिलाडी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 को निरस्त करते हुए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाडी (श्रेणी क, ख तथा ग) सेवा नियम, 2021 बनाए हैं। ये नियम संख्या सा0का0नि04/संवि0/अनु0 309/2021 दिनांक 26.02.2021 के तहत अधिसूचित हो चुके हैं। इस अधिसूचना की एक प्रति विधानसभा पटल पर रखी जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत खेलों को बढावा देने के लिए उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए एक ओ.एस.पी. काडर का गठन किया गया है। उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए ओ.एस.पी. काडर में पदों का सृजन निम्न प्रकार से किया गया हैः–

क.सं.	पदनाम एवं श्रेणी	पदों की संख्या
1.	उपनिदेषक (ओ.एस.पी) श्रेणी–क	50
2.	वरिष्ठ प्रषिक्षक (ओ.एस.पी) श्रेणी–ख	100
3.	प्रषिक्षक (ओ.एस.पी) श्रेणी–ख	150
4.	कनिष्ट प्रषिक्षक (ओ.एस.पी) श्रेणी–ग	250

इन नए रूलों के अन्तर्गत उत्कृष्ट खिलाडियों को श्रेणी क, ख तथा ग के पदों पर

उनकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा में नियुक्तियां दी जाएगी। वे राज्य के किसी भी जिले में स्थापित सैंटर आफ एक्सीलैंस/अकेडमीज/खेल काम्पलैक्स में खेलों को बढावा देने के लिए कार्य करेंगे।

ख) अधिसूचना दिनांक 20.08.2013 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा आउट आफ टर्न नियुक्ति देने के लिए नीति बनाई। यह नीति पत्र दिनांक 15.07.2014 के तहत संषोधित की गई। अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 के तहत उत्कृष्ट खिलाडियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर नौकरी प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा नीति दिनांक 15.07.2014 को निरस्त करते हुए हरियाणा प्रतिभाषाली खिलाडी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 बनाए। इस अधिसूचना की एक प्रति विधानसभा पटल पर रखी जाती है।

ग) खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा अभी तक 71 खिलाडियों को निम्नलिखित रैंक तथा ग्रेड अनुसार नौकरियां दी गई हैं:–

i) वर्ग–I में हरियाणा प्रतिभाषाली खिलाडी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत 19 खिलाडियों को (03 खिलाडियों को वर्ष 2020 में तथा 16 खिलाडियों को वर्ष 2021 में) उपनिदेषक, वेतनमान लेवल–11, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई।

ii) वर्ग– II में हरियाणा प्रतिभाषाली खिलाडी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत 28 खिलाडियों को प्रषिक्षक, वेतनमान लेवल–06, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई।

iii) वर्ग– III में हरियाणा प्रतिभाषाली खिलाडी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत 21 खिलाडियों को कनिष्ट प्रषिक्षक, वेतनमान लेवल–06, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई हैं तथा 03 खिलाडियों को नीति दिनांक 15.07.2014 के अन्तर्गत लिपिक, वेतनमान लेवल–02, सैल–1 के पद पर नियुक्तियां दी गई।

केवल एक नियुक्ति हरियाणा प्रतिभाषाली खिलाडी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 के अन्तर्गत लिपिक वेतनमान लेवल–02, सैल–1 के पद पर उपायुक्त कार्यालय नारनौल द्वारा दी गई है।